न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाष विष्नोई, आर.ए.एस.

2025-70RAAJodhpur2025-27RTA223 Jabarsingh ors Vs Sagatsingh etc

1. जबरसिंह पुत्र स्व. श्री रामसिंह
2. परबतसिंह पुत्र स्व. श्री रामसिंह
3. केसरसिंह पुत्र स्व. श्री रामसिंह
4. नरपतसिंह पुत्र स्व. श्री रामसिंह,
5. श्रीमती पुष्पाकंवर पुत्री स्व. श्री रामसिंह,
   मोतीसिंह पुत्र स्व. रामसिंह के कायम मुकाम
6. श्रीमती धीरेन्द्रकंवर पत्नी स्व. मोतीसिंह
7. श्रीमती सुदरकंवर पुत्री स्व. मोतीसिंह
8. भगतसिंह पुत्र स्व. मोतीसिंह
9. श्रीमती निरमाकंवर पुत्री स्व. मोतीसिंह,
10. जसवंतसिंह पुत्र स्व. मोतीसिह

सभी जातियान राजपुत, निवासीगण ग्राम धवा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. सगतसिंह पुत्र स्व. श्री भोपालसिंह
   मृतक भीमसिंह पुत्र स्व. श्री भोपालसिंह के कायम मुकाम
2. भवानीसिह पुत्र स्व. भीमसिंह
3. मानसिंह पुत्र स्व भीमसिंह
4. जितेन्द्रसिंह पुत्र स्व. भीमसिंह
5. श्रीमती मदनकंवर पत्नी स्व. भीमसिंह
6. मंगलसिंह पुत्र स्व. भोपालसिंह,
7. मदनसिंह पुत्र स्व. भंवरसिंह,
8. करणसिंह पुत्र स्व. भंवरसिंह,
9. अनोपसिंह पुत्र स्वं भंवरसिंह
10. गजेसिह पुत्र स्व. उदयसिह
    श्यामसिंह पुत्र स्व. उदयसिंह के कायम मुकाम
11. श्रीमती दुर्गाकंवर पत्नि श्यामसिंहजी
12. प्रिंस पुत्र स्व. श्यामसिंहजी नाबालिग
13. लक्ष्य पुत्र स्व. श्यामसिंहजी नाबालिग

दोनो नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता श्रीमती दुर्गाकंवर पत्नि स्व. श्यामसिंहजी जाति राजपुत, निवासी ग्राम धवा तहसील लूणी जिला जोधपुर।

14. सरदार सिंह पुत्र स्व. श्री उदयसिह जाति राजपूत निवासी ग्राम धवा, तहसील लूणी जिला जोधपुर।
15. दलपत सिंह पुत्र स्व. श्री आनंदसिंह जाति राजपूत, निवासी ग्राम धवा तहसील लूणी जिला जोधपुर।
16. अर्जुन सिंह पुत्र स्व. श्री आनदसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम धवा तहसील लूणी जिला जोधपुर।
17. लाल सिंह पुत्र स्व. श्री आनंदसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम धवा ताहसील लूणी जिला जोधपुर।
18. रतन सिंह पुत्र स्व. श्री किशोरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम धवा, तहसील लूणी जिला जोधपुर।
19. माधु पुत्र स्व. श्री किशोरसिंह जाति राजपूत, निवासी ग्राम धवा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
20. सुमेर पुत्र स्व. श्री किशोरसिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम धवा तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
21. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील लूणी जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07 जनवरी 2025 सहायक कलक्टर लूणी राजस्व मूल वाद संख्या 97/2019 जबरसिंह व अन्य बनाम सगतसिंह इत्यादि

———————

उपस्थित–

श्री कानाराम गोदारा, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री नवीन शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01, 03, 05 से 09, 15 से 17, 19, 20
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 21

नि र्ण य

दिनांक : 01 मई 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर लूणी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 97/2019 अनवान जबरसिंह व अन्य बनाम सगतसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07 जनवरी 2025 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 27 जनवरी 2025 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 701 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा, खसरा

संख्या 702 रकबा 36 बीघा 15 विस्वा, खसरा संख्या 719 रकबा 72 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 724 रकबा 12 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 725 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं 726 रकबा 15 बीघा 7 बिस्वा, खसरा न 916 रकबा 26 बीघा 16 बिस्वा, खसरा न 993 रकबा 55 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं 994 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, खसरा न 999 रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नं 1000 रकबा 25 बीघा 11 बिस्वा, खसरा न 1001 रकबा 20 बीघा 13 बिस्वा, खसरा न 1002 रकबा 19 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं 1003 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं 1004 रकबा 25 बीघा 10 बिस्वा, खसरा न. 1028 रकबा 14 बीघा 9 बिस्वा खसरा नं 1029 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा, खसरा न. 1032 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं 1033 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा, खसरा न 1038 रकबा 19 बीघा 5 बिस्वा, खसरा न 1307 रकबा 15 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं 1308 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं 908/1 रकवा 6 बीघा 16 बिस्वा, खसरा न 1310 रकबा 13 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं. 1311 रकबा 14 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं 1312 रकबा 14 बीघा 9 बिस्वा, खसरा न. 1316 रकबा 13 बीघा 14 बिस्वा, खसरा न 1317 रकबा 35 बीघा 13 बिस्वा कुल खसरान 29 कुल रकबा 780 बीघा 4 बिस्वा मौजा गांव धवा तहसील लूणी जिला जोधपुर के संबंध धारा 88, 53 एवं 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के संबंध में खातेदारी घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से अपना जवाबदावा मय प्रारम्भिक आपत्तियॉ प्रस्तुत कर वादीगण के वाद का विरोध किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07 जनवरी 2025 के जरिये वादीगण का वाद खारिज कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनाक 07.01.2025 विधि विधान एवं तथ्यों की विपरीत पारित किया है। परीक्षण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 ''**आया वादीगण विवादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से के खातेदारी घोषणा करवाये जाने के अधिकारी है?**'' जिम्मे वादीगण व अतिरिक्त तनकी संख्या 04 **''आया वादी संख्या 6 ग्राम धवा की ग्राम पंचायत के विभिन्न पदों पर रह चुका है और वह**

राजस्व रेकर्ड से भली भांति अवगत रहा है। इसलिए वादीगण का वाद म्याद बाधित है?'' जिम्मे प्रतिवादीगण दोनों तनकियात का एक साथ निस्तारण किया गया है। तनकी सख्या 1 को साबित करने हेतु वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 जमाबंदी सम्वत 2018 से 2019 प्रस्तुत की गई। प्रदर्श 1 जमाबंदी के कॉलम संख्या 4 में खातेदार की हैसियत से भोपालसिंह, रामसिंह पिसरान रावतसिंह कौम राजपुत इन्द्राज है। प्रदर्श– 2 खतौनी बंदोबस्त सम्वत 2011 से 2030 तक प्रस्तुत की गई, जिसमें खातेदार भोपालसिंह रामसिंह पिसरान् रावतसिंह कौम राजपुत इन्द्राज है। इन दोनो दस्तावेजों के समर्थन में वादीगण/अपीलांट्स की ओर से पी.डब्ल्यु–1 जबरसिंह, पी. डब्लयू–2 रामसिंह ने ताईद की है। प्रतिवादीगण के गवाह डी.डब्ल्यु–1 सगतसिंह ने अपने साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श–2 का दस्तावेज सत्य है। यह पट्टा भोपालसिंह व रामसिंह पुत्र रावतसिंह के नाम से 780 बीघा 4 बिस्वा का जारी हुआ है। हमने प्रदर्श–2 गलत हो, ऐसा कोई भी उजर एतराज अपने जीवनकाल में नहीं किया है। वादीगण ने तनकी संख्या 1 को दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य से साबित किया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 17 के तहत प्रतिवादीगण की ओर से प्रदर्श–2 को सत्य दस्तावेज होने की स्वीकृति दी है। प्रतिवादी के विरूद्ध स्वीकृति की साक्ष्य सर्वोत्तम साक्ष्य है। इन परिस्थितयो में वादीगण जो रामसिंह व रामसिंह के वारिसान है, तनकी संख्या 1 साबित करने में सफल रहे है कि वादीगण रामसिंह का परिवार एवं प्रतिवादीगण स्व. भोपालसिह का परिवार है तथा दोनो वादग्रस्त आराजी में 1/2–1/2 हिस्से के खातेदार है। वादीगण 1/2 हिस्से की खातेदारी अपने नाम से करवाने के अधिकारी है। परीक्षण न्यायालय ने अपनी विवेचना में लिखा कि वादीगण को इस तनकी संख्या एक में यह सिद्ध करना था कि वादीगण वादग्रस्त भूमि बाबत पुर्व में हुए बंटवाडा को निरस्त करते हुए आधे हिस्से के खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। इस संबंध में वादीगण द्वारा प्रदर्श 1 व प्रदर्श 2 प्रस्तुत किये गये, जिसमें वादग्रस्त भूमियॉ रामसिंह व भोपालसिंह के खातेदारी में दर्ज है, किंतु इसके विपरीत प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमियो के बंटवाडा बाबत सन् 1971 में दर्ज नामांतरकरण संख्या 392 प्रस्तुत किया गया, जिसमें वादग्रस्त भूमियों का पक्षकारान के मध्य आपस में बंटवाडा होना दर्शित होता है। परीक्षण न्यायालय की यह विवेचना दस्तावेजी साक्ष्य और रेकर्ड पर आयी मौखिक साक्ष्यों से विपरीत है। वादीगण की ओर से वादपत्र में स्पष्ट

अभिवचन किया है कि रामसिंह और भोपालसिंह के बीच में कभी भी बंटवाडा हुआ ही नही तथा उनके द्वारा ऐसा कोई बंटवाडा का दस्तावेज निष्पादित नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण की ओर से भोपालसिंह के पुत्र डी.डब्लयू. 1 सगतसिंह ने अपने ब्यानो में सन 1971 के आस पास हमारे और रामसिंह के बीच में इस विवादग्रस्त भूमि के सम्बध में बंटवारा हुआ, उस बंटवाड़ा की लिखा पढी हुई थी, जिसकी लिखापढी मेरे सामने नहीं हुई। मिलीभगत करके बंटवारा किया गया। पहले जो हमारे और रामसिंह के बीच बंटवाडे लिखा गया वह झुठा है। गवाह सगतसिंह ने आगे कथन किया कि हमारे गांव में पट्टे नहीं बने जो मिसल बदोबस्त बनी, वही है। मैंने मिसल बंदोबस्त पेश की जो प्रदर्श ए– 10 है जो सही है। प्रदर्श ए–10 के अनुनार बंटवाडा नहीं देना चाहते है। हम प्रदर्श ए–10 में से तीसरा हिस्सा रामसिंह को देना चाहते और 2 हिस्सा हम लेना चाहते हैं। इस प्रकार तनकी संख्या 1 के खण्डन में प्रतिवादीगण की ओर से बंटवाडा का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। बिना बंटवाडा के नामान्तकरण संख्या 392 स्वीकृत किया गया है, वह प्रारम्भ से ही शुन्य है एवं इस नामान्तरकरण संख्या 392 से वादीगण के खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं हुए है। इन परिस्थितयो में वादीगण ने तनकी संख्या 1 अपने हक में सक्षम साक्ष्य से साबित की है। परीक्षण न्यायालय ने उसको दरकिनार कर तनकी सख्या 1 वादीगण के विरूद्ध तय की है। अतिरिक्त तनकी संख्या 4 को तनकी संख्या के साथ इस आधार पर प्रतिवादीगण के पक्ष में और वादीगण के विरूद्ध तय की है कि वादीगण का वाद म्याद से बाधित है। वादीगण का वाद बाबत घोषणा खातेदारी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय सूची के क्रम संख्या 5 पर यह व्यवस्था दी हुई है कि खातेदारी घोषणा के लिए किसी प्रकार की म्याद नहीं है। परीक्षण न्यायालय द्वारा विधि के विपरीत जाकर अतिरिक्त तनकी संख्या 4 प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित करने में भारी मूल की है। परीक्षण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 2 ''आया वादीगण बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाडा करवाये जाने के अधिकारी है।'' जिम्मे वादीगण एवं अतिरिक्त तनकी संख्या 5 आया विवादित आराजी का बंटवाडा पूर्व में ही हो जाने के कारण व उस पर पक्षकारों द्वारा एक्ट अपॉन कर दिये जाने के कारण वादीगण विवादित आराजी का दुबारा बंटवाडा कराने के अधिकारी नहीं है।'' जिम्मे प्रतिवादीगण, दोनो तनकियात का एक साथ निस्तारण किया गया है।

तनकी संख्या 02 को साबित करने हेतु वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श जमाबंदी सम्वत 2018 से 2019 प्रस्तुत की गई। प्रदर्श जमाबंदी के कॉलम संख्या 4 में खातेदार की हैसियत से भोपालसिंह रामसिंह पिसरान रावतसिह कौम राजपुत इन्द्राज है। प्रदर्श 2 खतौनी बंदोबस्त सम्वत 2011 से 2030 तक प्रस्तुत की गई, जिसमें खातेदार भोपालसिंह रामसिंह पिसरान रावतसिंह कौम राजपुत इन्द्राज है। इन दोनो दस्तावेजो के समर्थन में वादीगण/अपीलाट्स की ओर से पी.डब्लयू 1 जबरसिंह, पी. डब्लयू 2 रामसिंह ने ताईद की है और प्रतिवादीगण के गवाह डी. डब्लयु 1 सगतसिंह ने अपने साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श 2 का दस्तावेज सत्य है यह पट्टा भोपालसिंह व रामसिंह पुत्र रावतसिंह के नाम से 780 बीघा 4 बिस्वा का जारी हुआ है। हमने प्रदर्श 2 गलत हो ऐसा कोई भी उजर एतराज अपने जीवनकाल में नहीं किया है। इस प्रकार परीक्षण न्यायालय के समक्ष दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से यह स्पष्ट रहा है कि राजस्व रेकर्ड में विवादग्रस्त भूमि भोपालसिंह रामसिंह पिसरान रावतसिह के संयुक्त खातेदारी में दर्ज इन्द्राज रही है व विवादग्रस्त खसरान की भूमि में 1/2 हक हिस्सा रामसिंह के खातेदारी का रहा है। इसी हिस्सेनुसार वादीगण, अपीलांटस बंटवाडा करवाने के अधिकारी है। परिक्षण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह सिद्ध करने में सफल रहे है कि वादग्रस्त भूमियों का वादी से 6 तथा प्रतिवादीगण के मध्य पूर्व में सन 1971 में ही आपसी रजामंदी से नामान्तरकरण संख्या 392 के जरिये विभाजन किया जा चुका है एवं उस पर एक्ट अपॉन भी मौके पर किया जा चुका है, की विवेचना की गई है, जबकि नामान्तरकरण संख्या 392 से संबंधित बंटवाड़ा का दस्तावेज प्रतिवादीगण द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है, न ही ऐसा कोई दस्तावेज विद्यमान रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 53 (2) (1) के अनुरूप स्व. रामसिंह एवं स्व. भोपालसिंह व उनके वारिसान के मध्य बंटवाड़ा कभी नहीं हुआ है व नामान्तरकरण संख्या 392 की सरसरी कार्यवाही से स्व. रामसिंह के 1/2 हक हिस्से की भूमि में रेस्पोडेन्ट्स को खातेदारी हक अधिकार प्राप्त नहीं हुए है। परीक्षण न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण संख्या 392 के आधार पर तनकी संख्या 2 एवं अतिरिक्त तनकी संख्या 05 वादीगण के विरूद्ध तय की गई है, जबकि नामान्तरकरण संख्या 392 विधि विरूद्ध होने से अपीलाट्स के हक अधिकारों के मुकाबले प्रारम्भ से ही शुन्य है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य बंटवाडा

नहीं हुआ है। विवादग्रस्त खसरान में खसरा नंबर 916 रकबा 260 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त के बाबत विवाद होने पर उक्त भूमि न्यायालय द्वारा कुर्क कर पुलिस थानाधिकारी झंवर को रिसीवर नियुक्त किया गया है। खसरा नंबर 916 में अपने बंटानुसार भूमि पर कब्जा काश्त सदैव स्व. रामसिंह व उनके वारिसान अपीलाट्स का रहा है। इसी बिनाय पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री काबिल खारिज है। परीक्षण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 3 ''आया वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री विरुद्ध प्रतिवादीगण जारी करवाये जाने के अधिकारी है?'' जिम्मे वादीगण, इस बिनाय पर वादीगण के विरुद्ध निर्णित की गई है कि वादीगण तनकी संख्या 1 व 2 अपने हक में साबित नहीं पाये है, जबकि परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से स्पष्ट साबित है कि राजस्व रेकर्ड में रामसिंह, भोपालसिंह पिसरान रावतसिंह का नाम विवादग्रस्त भूमि में 1/2–1/2 हक हिस्से में दर्ज इन्द्राज रहा है व तत्पश्चात प्रतिवादीगण द्वारा बिना किसी बंटवाडा के नामान्तकरण संख्या 392 स्वीकृत करवाकर स्व. रामसिंह के नाम 1/2 हिस्से की भूमि रकबा 390 बीघा 2 बिस्वा के स्थान पर 1/3 हिस्सा दर्ज कर उनके हक हिस्से में रकबा 198 बीघा 03 बिस्वा भूमि दर्ज इन्द्राज करवाई है व रकबा 509 बीघा भूमि रेस्पोडेन्टस की खातेदारी में दर्ज करवा दी, जबकि किसी प्रकार का बंटवाडा का दस्तावेज स्व. रामसिंह द्वारा निष्पादित नहीं किया गया है। वादीगण/अपीलांटस वादग्रस्त खसरान की भूमि में 1/2 हक हिस्से के खातेदार काश्तकार होने से स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का तनकी संख्या तीन पर प्रतिपादित मत विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। परीक्षण न्यायालय के समक्ष तनकी संख्या 4 ''आया वाद वादी आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार नही बनाने से चलने योग्य नहीं है?'' जिम्मे प्रतिवादीगण, इस तनकियात पर परीक्षण न्यायालय द्वारा कोई विवेचना नहीं की गई तथा न ही अपने निर्णय में इस तनकी को सम्मिलित किया है। तनकी संख्या 4 के संदर्भ में वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 4 में अभिवचन किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी सामलाती रहते हुए अपने अपने हिस्से में से जमीन का बेचान हंस्तातरण किया गया है। वादी रामसिह ने कुल रकबा 36 बीघा 16 बिस्वा का हस्तांतरण किया है और प्रतिवादीगण द्वारा 91 बीघा 19 बिस्वा भूमि का हस्तांतरण किया गया है। वादीगण द्वारा

हस्तांतरण किये हुए खसरान का बंटवाडा एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं करना चाहता है। जिस पक्षकार ने भूमि हस्तांतरण की उनके हिस्से से बेचान किया गया रकबा बंटवाडा के समय घटाया जायेगा। इन परिस्थितयो में खरीददारान को इस वाद में पक्षकार संयोजित किया जाना आवश्यक नही था। वादीगण की ओर से दिनांक 26.06.2019 को धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उल्लेख कर दिया था। प्रतिवादीगण द्वारा तनकी संख्या 4 साबित नहीं की गई है तथा न ही परीक्षण न्यायालय द्वारा भी इस पर कोई विवेचना नहीं की गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनाक 07.01.2025 में संशोधित वाद शीर्षक के अनुरूप पक्षकार संयोजित नहीं किये गये है। प्रतिवादी संख्या 2 मृतक भीमसिंह के वारिसान का नाम अंकित नहीं किया गया है व प्रतिवादी संख्या 8 श्यामसिंह पुत्र स्व. उदयसिंह के वारिसान का भी नाम निर्णय में अंकित नहीं किया गया है। वादी संख्या 6/1 श्रीमती भंवरकवर पत्नी स्व. रामसिंह का भी देहांत हो चुका है। अपीलांट्स द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत संशोधित वाद शीर्षक अनुसार इस अपील में पक्षकार संयोजित किये है। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर वादीगण का वाद डिक्री किये जाने योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07 जनवरी 2025 को खारिज फरमाया जावे एवं वादीगण का वाद माफिक अनुतोष स्वीकार फरमाया जावे। वकील अपीलांट्स द्वारा अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.टी. 2002(1) पेज 129, आर.आर.टी. 2018–19(सप्ली.) पेज 145 की न्यायिक नजीरे पेष की।

जवाब में रेस्पोडेंट्स अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में तत्कालीन खातेदार रामसिंह एवं भोपालसिंह द्वारा सन् 1971 में आपसी सहमति से बंटवाड़ा कर लिया गया था। उभय पक्ष वादग्रस्त आराजी पर उक्त बंटवाड़े के अनुसार ही काबिज काष्त है। अपीलांट्स के पिता स्व. रामसिंह सिंह को उनके पिता रावतसिंह द्वारा शिवनाथ पुत्र भभूतसिंह निवासी पचपदरा को दिनांक 04.05.1936 को निष्पादित पंजीबद्ध गोदनामे के जरिये गोद दे दिया था। इस कारण अपीलांट्स एवं उनके पिता का अपने नैसर्गिक पिता रावतसिंह जी की संपति में रावतसिंह के वारिसान् की हैसियत से कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं तथा न ही अपीलांट्स/वादीगण को

रावतसिंह के वारिसान् की हैसियत से यह वाद लाने का अधिकार प्राप्त है। अपीलांट्स की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष उक्त तथ्य को छिपाकर वाद प्रस्तुत किया गया था, जिसे रेस्पोडेंट्स की ओर से अपने जवाब में उजागर किया गया। यह उल्लेखनीय है कि वादी सं 6 स्व. रामसिंह ग्राम धवा के पूर्व सरपंच, उपसरपंच, न्याय पंच के पद पर रह चुके है। इस कारण उन्हें वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रेकर्ड की भलीभांति जानकारी रही है। वादग्रस्त भुमियों का पूर्व में विभाजन हो जाने से कानूनन विभाजन का नवीन वाद नहीं लाया जा सकता है। स्व. रामसिंह द्वारा भोपालसिंह का फौतेदगी नामांतरकरण, अपने भतीजे भंवरसिंह व आनन्द सिंह के फौतेदगी नामांतरकरण सन् 1989 इत्यादि बतौर उपसरपंच की हैसियत से भरवाये थे तथा उन्हें राजस्व रेकर्ड की जानकारी रही है। वादग्रस्त आराजी के संबंध में वाद करण ही पैदा नहीं हुआ है। वादीगण/अपीलांट्स द्वारा केवल भूमियों की कीमत बढ़ने के कारण झूठा वाद प्रस्तुत किया है। यह तथ्य सही है कि वादग्रस्त आराजीयात वक्त सेटलमेंट खातेदार रावतसिंह की कृषि भूमिया दर्ज रही है। तत्पष्चात स्व. भोपालसिंह एवं स्व. रामसिंह द्वारा सन् 1971 में वादग्रस्त आराजीयात का विभाजन करवाया गया तथा उसी विभाजन अनुसार अपने हिस्से में आयी भूमि खसरा नं. 726, 994, 1038 का रजिस्टर्ड बैचाननामे के क्रेता बजाराम व कलाराम को बैचान की गई, जिसे अपीलांट स्वीकार करते है। नामान्तरकरण सं. 392 दिनांक 16.11.1971 स्व. भोपालसिंह के वारिसान् द्वारा बंटवाड़ा कर लिया गया था, जिसमें जिसमे वादी सं. 6 रामसिंह का खाता स्पष्ट रूप से अलग दर्शाया गया। जिसके अनुसार ही रामसिंह ने 16.10.1971 में नामान्तरकरण संख्या 194 दिनांक 16.11. 1971 के जरिये अपने हिस्से की भूमि में से अपने पुत्र वादी सं. 1 को खसरा नं. 1301 की भूमि बंट में दी गई। तत्पश्चात् नामान्तरकरण सं. 530 दिनांक 16.07.1973 के जरिये रामसिंह ने अपने हिस्से की कृषि भूमियों का आपसी बंटवाडा अपने पुत्रो वादी सं. 1 से 5 के मध्य लिखा एवं अपने हिस्से की भूमियों को अपने एवं अपने पुत्रो के मध्य बांट लिया। उक्त तथ्यों साबित है कि अपीलांट्स को सन् 1971 के बंटवाड़े की जानकारी शुरूआत से ही रही तथा उक्त बंटवाड़ा के पश्चात अपीलांट्स की ओर से बंटवाड़ा एवं विभिन्न हस्तांतरणों के जरिये नामांतरकरण स्वीकृत करवाये है। ऐसी स्थिति में इतनी लंबी अवधि पश्चात अपीलांट्स को पूर्व बंटवाड़ा की सत्यता एवं प्रमाणिकता पर प्रश्नचिन्ह लगाने का कोई अधिकार नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को

सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए मामले में विरचित तनकीयात पर अपना मत प्रतिपादित करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों को ससम्मान प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में परिषीलन किया गया। मामले का तनकी वार विवेचन निम्नानुसार हैः–

01. आया वादीगण विवादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से के खातेदारी घोषणा करवाये जाने यो अधिकारी है? जिम्मे वादीगण.....

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर रहा है। वादीगण का कथन है कि वादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेंट वादी संख्या 6 रामसिंह एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज भोपालसिंह की खातेदारी में रही है तथा उक्त भूमियों में वादीगण एवं प्रतिवादीगण का 1/2–1/2 हिस्सा निहित है। वादीगण/अपीलांट्स का कथन है कि नामांतरकरण संख्या 392 के जरिये निष्पादित बंटवाड़ा विधि विरूद्ध है। वादीगण की ओर से उक्त तनकी के समर्थन में प्रदर्ष–1 जमाबंदी संवतः 2018–2019 एवं प्रदर्ष–2 खतौनी बंदोबस्त संवतः 2011 से 2030 प्रस्तुत की है। उक्त दोनो प्रदर्षो से यह साबित है कि वादग्रस्त आराजी पूर्व में खातेदार रामसिंह एवं भोपालसिंह की खातेदारी में दर्ज रही है। खातेदार रामसिंह एवं भोपालसिंह द्वारा सन् 1971 में बंटवाड़ा किये जाने पर उक्त बंटवाड़ा की पालना में नामांतरकरण संख्या 392 एवं 393 स्वीकृत किये गये है। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत **आर.आर.टी. 2018–19(सप्ली.) पेज में 145** माननीय मण्डल की एकलपीठ ने धारित किया है कि **नियमानुसार बंटवाड़ा उन्हीं व्यक्तियों के मध्य हो सकता है, जिनका नाम जमाबंदी में हो। उक्त दृष्टांत अधीन मामले में निष्पादित बंटवाड़े में सभी पक्षों को सम्मिलित नहीं करने तथा अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर तहसीलदार द्वारा नामांतरकरण स्वीकृत करने पर माननीय मण्डल द्वारा नामांतरकरण को विधिविरूद्ध मानते हुए निरस्त किये जाने के आदेष दिये गये है। हस्तगत मामले में वादग्रस्त**

आराजीयात के तत्कालीन रेकर्डेड खातेदारान् द्वारा आपसी सहमति से विभाजन किये जाने से नामांतरकरण संख्या 392 स्वीकृत किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के तथ्य हस्तगत प्रकरण से भिन्न होने से लागू नहीं होते है। उक्त बंटवाड़ा के पश्चात नामांतरकरण संख्या 530 दिनांक 16.04.1973 के जरिये रामसिंह के वारिसान् द्वारा बंटवाड़ा करना बताया गया है। रेस्पोडेंट पक्ष की ओर से अपील स्तर पर प्रस्तुत अपीलांट जबरसिंह द्वारा पुलिस थाना झंवर में दिये गये बयानों की प्रति के मुताबिक अपीलांट जबरसिंह द्वारा स्वीकार किया गया है कि मौजा धंवा के विभिन्न खसरों की सामलाती जमीन थी जो मेरे पिताजी व मेरे बड़े बाप भोपालसिंह जी आपस में बंटवाड़ा करके कब्जा काष्त में थे, हम संताने बड़ी होने पर अपने–अपने बंट की जमीन अपनी–अपनी संतान को भाई बंटवाड़ा कर दी। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट साबित है कि सन् 1973 में निष्पादित बंटवाड़ा विधिनुसार था। तत्समय के खातेदारान् द्वारा अपने नाम दर्ज खातेदारी का बंटवाड़ा कर लिये जाने से अपीलांट्स वर्तमान में उक्त आराजी में 1/2 हिस्से की खातेदारी घोषणा के अधिकारी नहीं ठहरते है। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त बंटवाड़ा के पश्चात राजस्व रेकर्ड में लगातार परिवर्तन होता रहा है, जिसके बाबत तत्समय अपीलांट्स की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गई है। लिहाजा अदालत हाजा उक्त तनकी पर विचारण न्यायालय के मत से सहमत होने से उक्त तनकी पर दिये गये विचारण न्यायालय को यथावत रखा जाता है।

02. **आया वादीगण बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाडा करवाये जाने के अधिकारी है? जिम्मे वादीगण.....**

तनकी संख्या दो को साबित करने का भार विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण /अपीलांट्स के जिम्मे रखा गया। वादीगण/अपीलांट्स द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में अपने 1/2 हिस्से के बंटवाड़े का अनुतोष चाहा है। तनकी संख्या एक वादीगण/अपीलांट्स के विरूद्ध निर्णित हो जाने से वे वादग्रस्त आराजीयात में 1/2 हिस्से की खातेदारी साबित नहीं कर पाये है। अपीलांट्स द्वारा सन् 1971 के विभाजन को अवैध साबित नहीं कर पाने से वे पूर्व में विभाजित भूमि का वर्तमान में पुनः विभाजन करवाने के अधिकारी नहीं ठहरते है। लिहाजा अदालत हाजा उक्त तनकी पर विचारण

न्यायालय के मत सहमत होने से उक्त तनकी वादीगण/अपीलांट्स के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

03. **आया वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी विरुद्ध प्रतिवादीगण जारी करवाये जाने के अधिकारी है? जिम्मे वादीगण.....**

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर रहा है। कानूनन अस्थाई निषेधाज्ञा रेकर्डेड खातेदार द्वारा दूसरे रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध प्राप्त करने का अधिकारी होता है। तनकी संख्या 01 व तनकी संख्या 02 वादीगण/अपीलांट्स अपने पक्ष में साबित नहीं कर पाने से वे वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं ठहरते है। लिहाजा उक्त तनकी वार विचारण न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा जाता है।

अतिरिक्त तनकियातः–

01. **आया वादी सं. 6 को उसके पिता ने जरिये रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 04.05.1936 के जरिये स्व. शिवनाथ सिंह के गोद दिया, इसलिए स्व. रावतसिंह के वंशवृक्ष की विवादित आराजी का बंटवाडा कराने व उस बाबत् घोषणा करवाने व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है? जिम्मे प्रतिवादीगण.....**
02. **आया वादी सं. 6 के श्री शिवनाथसिंह के गोद चले जाने व वादी सं. 1 से 5 वादी सं. 6 के पुत्र होने से वह विवादित आराजी का बंटवाडा करवाने, घोषणा करवाने व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है? जिम्मे प्रतिवादीगण.....**
03. **आया वादीगण ने वादी सं. 6 के शिवनाथसिंह के गोद जाने बाबत् महत्वपूर्ण तथ्य को न्यायालय श्री से छिपाया है, इसलिए वादीगण इस वाद में कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है? जिम्मे प्रतिवादीगण...**

अतिरिक्त तनकी संख्या 01 से 03 परस्पर संबंधित होने से इनको एक साथ निर्णित किया जाना उचित समझते है। प्रतिवादीगण की ओर से उक्त तनकीयात को साबित करने के लिए प्रदर्ष–ए11 एवं प्रदर्ष –ए14 पंजीबद्ध गोदनामा प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार रामसिंह को षिवनाथसिंह के गोद जाना बताया गया है। किंतु पीडब्ल्यू–2 स्वयं रामसिंह ने दौराने जिरह इस तथ्य से इंकार किया है कि वे षिवनाथसिंह नागणेचा राजपूत के गोद नहीं गये है। डी–डब्ल्यू–1 सगतसिंह द्वारा भी दौराने जिरह रामसिंह को षिवनाथसिंह के गोद जाने के तथ्य की पूर्ण पुष्टि नहीं की है तथा रामसिंह के धवा में ही रहने के तथ्य को स्वीकार किया है। सगतसिंह द्वारा अपनी

जिरह में गोद लिये जाने की बात सुनी सुनायी होना ही स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में वादीगण को गोदनामे के तथ्य के आधार पर वादग्रस्त आराजी के संबंध में वाद लाने से रोका नही जा सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि मुख्य तनकी संख्या एक से तीन वादीगण के विरूद्ध तय होने से वादी वादग्रस्त आराजी में खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं ठहरते है। लिहाजा उक्त अतिरिक्त तनकी संख्या चार से छः आंषिक तौर पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

04. **आया वादी सं. 6 ग्राम धंवा की ग्राम पंचायत के विभिन्न पदों पर रह चुका है और राजस्व रेकर्ड से भली भांति अवगत रहा है। इसलिए वादीगण का वाद म्याद बाधित है? जिम्मे प्रतिवादीगण....**

पी.डब्ल्यू–1 रामसिंह द्वारा अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि वह कक्षा 4–5 तक पढा लिखा है। वह ग्राम पंचायत धंवा का सरपंच, उप–सरपंच एवं न्याय पंच रहा है तथा संवतः 2017 से 28 साल तक निरंतर ग्राम पंचायत धवा का न्याय पंच रहा है। रामसिंह द्वारा यह तथ्य भी स्वीकार किया गया है कि उसके द्वारा 16 बीघा भूमि वजाराम घांची को तथा 15 बीघा भूमि वजाराम चौधरी को बेची गई तथा रजिस्ट्री करवायी है। उक्त तथ्यों से साबित है कि खातेदार रामसिंह पढा लिखा व्यक्ति होने से व ग्राम में सम्मानजक पद पर रहने से उसे राजस्व रेकर्ड की जानकारी शुरूआत से ही रही है। यह भी उल्लेखनीय है कि खसरा नंबर 916 की भूमि की कुर्की के वक्त कब्जा प्रतिवादीगण से लिया गया, जिससे साबित है कि प्रतिवादीगण अपने हिस्से की भूमियों पर काबिज काष्त है। उक्त सभी तथ्यों से साबित है कि वादीगण को सन् 1971 के बंटवाड़े एवं तत्पष्चात संधारित राजस्व रेकर्ड की जानकारी भलीभॉति रही है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण द्वारा उक्त तनकी को बखूबी साबित किये जाने से उक्त तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

05. आया विवादित आराजी का बंटवाडा पूर्व में ही हो जाने के कारण व उस पर पक्षकारों द्वारा एक्ट अपॉन कर दिये जाने के कारण वादीगण विवादित आराजी का दुबारा बंटवाडा कराने के अधिकारी नहीं है? जिम्मे प्रतिवादीगण....

तनकी संख्या 2 का निर्णय पूर्व में वादीगण के विरूद्ध कर दिये जाने से उक्त तनकी स्वतः ही प्रतिवादीगण के पक्ष में साबित होती है। पूर्व बंटवाड़ा सन् 1971 की पालना में मौके उभय पक्ष उसी अनुसार काबिज है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित मत को यथावत रखा जाता है।

06. **आया विवादित भूमि की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण वादीगण ने बदनियति से यह वाद पेश किया है?**

जिम्मे प्रतिवादीगण..

विचारण न्यायलाय द्वारा उक्त तनकी प्रतिवादीगण के जिम्मे रखी गई है। पूर्व में निर्णित तथ्यों से यह साबित है कि वादीगण को वादग्रस्त भूमियो के संबंध में पूर्व मे सन् 1971 में रजामंदी से हुए बंटवाड़ा जानकारी शुरूआत से ही रही है एवं मौके पर एक्ट अपॉन हो जाने के बावजूद वादीगण द्वारा पूर्व बंटवाड़े की जानकारी सन् 2006 मे ही होना बताते हुए विचारण न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया है तथा वादीगण अपने वाद को साबित करने असफल रहे है। उक्त सभी तथ्यो से यह सिद्ध है कि वादीगण द्वारा मात्र वादग्रस्त भूमियों की कीमतों में वृद्धि जाने के कारण ही हस्तगत वाद प्रस्तुत किया है। लिहाजा उक्त तनकी पर अदालत हाजा विचारण न्यायालय के मत से सहमत होने से उक्त तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

मामले के तनकीवार विवेचन से स्पष्ट है कि पक्षकारान्/स्व. रामसिंह एवं स्व. भोपालसिंह द्वारा सन् 1971 में आपसी रजामंदी से विभाजन कर उसी अनुसार मौके पर काबिज काष्त है। वादीगण अपने वाद को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से साबित नहीं कर पाये है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना अदालत हाजा की राय में उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर लूणी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 97/2019 अनवान जबरसिंह व अन्य बनाम सगतसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07 जनवरी 2025 यथावत रखे जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाष विष्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर